बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

अधि0सं0 4587470 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक 11/09/2025

R-504/29/2023-Section-14-RDD-RDD

श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के विरूद्ध आवास योजना के तहत चार लाभार्थियों को दो-दो बार आवास का लाभ देने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्गदर्शिका के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता पर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व में लाभान्वित लाभुकों को लाभ दिये जाने संबंधी तथ्यों को छुपाने एवं सरकारी राशि के दुरूपयोग रोकने में अभिरूचि नहीं लेने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक- 645 दिनांक- 24.04.2020 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री वर्मा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया ।

श्री वर्मा के कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के पत्रांक- 468 दिनांक- 24.08.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री वर्मा के मांझी प्रखंड पदस्थापन अवधि में आवास योजना के तहत चार लाभार्थियों को दो-दो बार आवास का लाभ दिये जाने संबंधी मामले में आरोपित पदाधिकारी द्वारा दो भिन्न-भिन्न प्रतिवेदन दिये गये है । यह कृत्य श्री वर्मा द्वारा बरती गई उक्त लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0- 2494151 दिनांक- 22.01.2024 द्वारा श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के विरूद्ध ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' का दंड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध में श्री वर्मा द्वारा दंड से मुक्त हेतु विभाग में अभ्यावेदन दिनांक- 27.03.2025 समर्पित किया गया । विभाग द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया है कि उक्त अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक- 27.03.2025 को संचिकास्त किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/ 11.9.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

<u>चपरासी बही</u>

ज्ञापांक 4587470 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक 11/09/2025

R-504/29/2023-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/ 11.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 4587470 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक 11/09/2025

R-504/29/2023-Section-14-RDD-RDD

ीड पोस्ट/ ेल/चपरासी बही

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, सारण, नालंदा एवं बक्सर, उप विकास आयुक्त, सारण, नालंदा एवं बक्सर / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सारण, नालंदा एवं बक्सर / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

11.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

स्पीड पोस्ट/ईमेल

ज्ञापांक 4587470 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक 11/09/2025

R-504/29/2023-Section-14-RDD-RDD

श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 4587470 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक 11/09/2025

चपरासी बही

R-504/29/2023-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित ।

11.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव